

11.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सणगारी में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता शिविर में उपस्थित। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सी.पी.सी. पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बन्धित मूल राजस्व वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वादपत्र को दिनांक 10.03.2021 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/वादी की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय अनुतोष से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। जिस पर वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।


बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुनवाई दिनांक 10.03.2021 को मौजूदा प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वादपत्र तलबी चरण पर नियत था। नियत सुनवाई पर अधिवक्ता के न्यायालय में 5.45 बजे पहुंचने से पूर्व वादपत्र अमद हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो, निर्णित हो चुका था। वादी पक्ष को इसकी जानकारी उसी दिवस को हुई।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाने का कारण वाजिब, माकूल एवं मजबूरी युक्त रहा है। वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एवं आवश्यक है अन्यथा वादी/प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी। अतः प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें।

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मूल राजस्व वाद का बारीकी से अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। हेतुक के तौर पर अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये गये कारण, न्यायालय वाजिब, माकूल एवं मजबूरी युक्त मानता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 07 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ, खारिज होने से पूर्व वादपत्र में नियत चरण यानि तलबी से ही पुनः आरम्भ किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा फरिक्तेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां जिला भीलवाडा